*अभिभाषण* - **श्री बाबूलाल मराण्डी,** *मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार*
49वी राष्ट्रीय विकास परिषद् बैठक, 1 सितम्बर, 2001 नई दिल्ली

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केन्द्र सरकार के माननीय मंत्रीगण तथा राज्यों से आये हुए मेरे साथीगण,

झारखंड राज्य के गठन के पश्चात् , पहली बार राष्ट्रीय विकास परिषद् की आयोजित इस बैठक में मुझे आप लोगों के साथ भाग लेने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उससे मुझे बेहद खुशी हुई है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अन्त:मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ तथा बैठक बुलाने के लिए उन्हें बधाई देता हूँ ।

2. नवीं पँचवर्षीय योजना का कार्यकाल दिनांक 31.3.2002 को समाप्त हो रहा है । दिनांक 1.4.2002 से दसवीं पँचवर्षीय योजना प्रारम्भ होगी । उक्त तिथि से, अगले 10 वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय को दो-गुणा करने का जो लक्ष्य दसवीं पँचवर्षीय योजना के माध्यम से निर्धारित किया जा रहा है, उसका हम स्वागत करते हैं । इससे गरीबी को हटाने तथा सामान्य लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी ।

3. आज की आवश्यकता यह है कि गरीबों तथा अमीरों के बीच की खाई को मिटाया जाय, अशिक्षा तथा बेरोजगारी को दूर भगाया जाये, बढ.ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित किया जाये,शिशु मृत्यु दर पर लगाम लगाई जाये तथा प्रत्येक परिवार को रहने के लिए एक घर तथा पीने के लिये स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाय । इस सम्बन्ध में, जो भी प्रयास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा किये जा रहे हैं, हम उसका भरपूर समर्थन करते हैं ।

4. हमें इस बात की जानकारी है कि इस देश में क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या पूर्ववत् बरकरार है । हमारा झारखण्ड राज्य भी इससे अछूता नहीं है । प्रचुर प्राकृतिक एवं खनिज सम्पदाओं के बावजूद , यहाँ की लगभग 60 प्रतिशत आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहती है । राज्य की सम्पूर्ण आबादी में अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 40 प्रतिशत है । मात्र 54 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं । 60 प्रतिशत से अधिक गाँव अभी भी सड.को से जुडे. हुए नहीं हैं । राज्य का मात्र 8 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित क्षेत्र है । 28,000 आबाद गाँवों में से मात्र पाँच हजार गाँवों में ही बिजली की पहुँच है । रेल परिवहन के क्षेत्र में यह राज्य बहुत ही पिछ्डा हुआ है । लगभग यही हालत राष्ट्रीय राज्य मार्गों की भी है । कहने की आवश्यकता नहीं कि किसी भी राज्य का विकास तबतक संभव नहीं है, जबतक कि वहाँ पर आधारभूत संरचनाओं, यथा, रेल, सड.क, बिजली, सिंचाई इत्यादि का भरपूर विकास न हो । साथ ही, मानव विकास के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रणाली का भी सुदृढ. होना आवश्यक है ।

5. गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, द्वारा ऐडजेस्टेड शेयर्स (Adjusted Shares) के आधार पर विभिन्न राज्यों को राशि आवंटित करने की जो वर्तमान पद्धति अपनाई गयी है,उसका हम समर्थन करते हैं , परंतु इससे झारखण्ड जैसे अविकसित राज्यों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति-समुदायों को अन्य राज्यों की बराबरी में लाने में काफी लम्बा समय लगेगा और इसके लिये जनता हमें अब और अधिक समय नहीं देने वाली है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि जिन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, राष्ट्रीय औसत से, अधिक है, उन्हें विशेष

केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत, अलग से, अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाये, जिससे कि एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत गरीबों की संख्या में कमी लाई जा सके ।

6. पिछले पाँच दशकों में विकास की अनेक योजनायें चलाई गयी हैं । उनके अन्तर्गत अनेक आधारभूत संरचनाओं, सड.क, नहर, विद्युत संरचनाओं इत्यादि का सृजन किया गया है, परंतु रख-रखाव मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने के कारण, इनमें से अनेक संरचनायें जर्जर अवस्था में हैं और उन्हें पुनर्वासित तथा उन्नयित करने की आवश्यकता है । वर्तमान वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसी योजनाओं के रख-रखाव पर योजना-मद की राशि खर्च नहीं की जा सकती है । मेरा यह दृढ. मत है कि नई योजनाओं पर राशि खर्च करने तथा नई परिसम्पत्तियों को खडी करने के बजाय, पूर्व से चली आ रही पुरानी सम्पत्तियों के रख-रखाव तथा उनके उन्नयन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये, अन्यथा हम नई परिसम्पतियां सृजित करते जायेंगे और, रख-रखाव के अभाव में, पुरानी परिसम्पतियां बर्बाद होती जायेंगी । निश्चय ही, यह राष्ट्रहित में नहीं होगा । अतः राष्ट्रीय विकास परिषद् जैसी संस्था में विचार कर कोई रास्ता निकाला जाना चाहिये जिससे कि पुरानी योजनाओं का रख-रखाव ठीक ढंग से किया जा सके ।

7 हमारे राज्य में अनेक ऐसी योजनायें है, खासकर सिंचाई, सड.क एवं विद्युत सम्बन्धी योजनायें, जो वर्षों से अधूरी पडी हुई है । उनमें से कई योजनायें सातवीं पँचवर्षीय योजना काल से ही अधूरी चली आ रही हैं । धन के अभाव में, उन्हें पूरा नहीं किया जा सका है जबकि पहले से उनमें काफी अधिक धन राशि का निवेश किया जा चुका है और वे पूरा होने के विभिन्न चरणों में है । ऐसी योजनाओं को पूरा कराने के लिये एक बडी राशि की आवश्यकता है । मेरा सुझाव होगा कि ऐसी योजनाओं का संयुक्त लेखा-जोखा (Joint assessment) एक बार संबधित राज्य सरकारें तथा योजना आयोग मिल कर ले और तत्पश्चात् इन योजनाओं को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत पूरा कराने के लिये केन्द्रीय सरकार, अलग से, राशि उपलब्ध कराये ताकि इन योजनाओं को पूरा किया जा सके और उनका लाभ जनता को मिल सके ।

8. पिछली पँचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रत्येक प्रकार की योजनायें पब्लिक क्षेत्र में ली गईं । इनमें से कई योजनायें अब बन्द है अथवा उनकी माली हालत खराब है । हम यह मानते हैं कि ऐसी योजनाओं की समीक्षा की जानी चाहिये तथा उन योजनाओं को प्राइवेट क्षेत्र में हस्तान्तरित करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये जो सँवेदनशील अथवा क्रिटिकल योजनाओं की श्रेणी में नहीं आती हैं तथा जहाँ निजी क्षेत्र में अब पर्याप्त प्रावैधिकी उपलब्ध है और जिनका कार्यान्वियन निजी उद्यमियों द्वारा किया जा सकता है ।

9. केन्द्रीय सम्पोषित योजनाओं को राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने के संबंध में, एक लम्बी बहस बहुत दिनों से चल रही है । मेरा यह मानना है कि इस संबंध में अब अन्तिम निर्णय ले लिया जाना चाहिये । मेरी समझ से, सबसे उपयुक्त रास्ता यही होगा कि ऐसी सभी योजनाओं को, उनकी राशि के साथ, सम्बन्धित राज्य सरकारों को, हस्तांतरित कर दिया जाये और राज्य सरकारों के विवेक पर यह बात छोड. दी जाये कि वे इन योजनाओ का कार्यावयन कैसे और किस प्रकार करना चाहते हैं । सम्प्रति, इस प्रकार की अनेक योजनायें कार्यान्वित हो रही हैं । उनका स्वरूप तथा सम्पोषण का पैटर्न अलग-अलग है । इससे भ्रान्ति पैदा होती है । कई बार केन्द्राश की राशि विमुक्ति होने में देरी होती है । उस समय, ऐसे योजनाओं की प्रगति रुक जाती है । अतः इन योजनाओं को राज्य सरकारों को हस्तांतरित

करने के साथ-साथ उनके लिये कर्णांकित राशि को सम्बन्धित राज्य सरकारों को उसी अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिये जिस अनुपात में उन्हें अभी केन्द्रीय सहायता की राशि प्राप्त होती है । यह भी सुझाव होगा कि हस्तांतरित की जाने वाली योजनाओं के लिये देय राशि को शत प्रतिशत ग्रान्ट के रूप में राज्य सरकारों को दिया जाय तथा उसमें प्रति 15 प्रतिशत की बढोतरी की जाय ।

10. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के तहत परिभाषित वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग करने हेतु भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना आवश्यक है । इस अनुमति को प्राप्त करने में अत्यधिक विलम्ब होता है । फलस्वरूप, विकास योजनाओं का कार्यान्वयन अवरुद्ध हो जाता है । अत: यह आवश्यक है कि परिभाषित वन भूमि, जो निजी सम्पत्ति है, उसका गैर वानिकी कार्यों में उपयोग करने की अनुमति देने का अधिकार सम्बन्धित राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए । साथ ही, राज्य सरकार को ऐसी परिभाषित निजी भूमि, जिसे राजस्व अभिलेखों में जंगल-झाडी के रूप में दर्ज दिखाया गया है, को 5 हेक्टर की सीमा तक गैर वानिकी कार्यों में प्रयोग की अनुमति दिये जाने का भी अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए । अधिसूचित वन भूमि को 2 हेक्टर की अधिसीमा तक विकास कार्यों के लिए अपयोजन का अधिकार भी राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए ।

11. आरक्षित वनों में बहुत लम्बी अवधि से कई जनजातियाँ रह रही हैं । इन गाँवों में सभी प्रकार के विकास कार्य अवरुद्ध है । इसका मुख्य कारण यह है कि अधिसूचित भूमि का गैर वानिकी कार्यों में प्रयोग वर्जित है । फलस्वरूप, इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों को शिक्षा की सुविधा, पेय जल की सुविधा, यातायात की सुविधा एवं जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अन्य संसाधनों को उपलब्ध कराना प्राय: असम्भव हो गया है । आरक्षित वनों में रहने वाले जनजातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे गाँवों में विकास कार्य कराये जाने की अनुमति राज्य सरकारों को दी जानी चाहिए, अन्यथा इस गम्भीर मानवीय समस्या का निदान सम्भव नहीं हो सकेगा ।

12. जनजातियों के कल्याणार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-275 (1) के अन्तर्गत ग्रान्ट दी जाती है । मेरा अनुरोध होगा कि इन दोनों मुद्दों अन्तर्गत आवंटित की जाने वाली राशि में वृद्धि की जाय । मेरा यह भी सुझाव होगा कि विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि पर आई0आर0डी0पी0 पैटर्न पर खर्च करने का जो वर्तमान प्रतिबंध है, उसे हटा दिया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को अपने विवेक के अनुसार राशि खर्च करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ।

13. हमने यह देखा है और हमारा यह अनुभव रहा है कि वही राज्य विकास की दौड. में पीछे पड. गये हैं, जो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफल नहीं रहे हैं । बढ.ती हुई जनसंख्या का कुत्सित प्रभाव हमारी तमाम विकास योजनाओं पर पडा है । फलस्वरूप, विकास का वह स्वरूप हमें नजर नहीं आता है, जिसके लिए पिछले पचास वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से एक बडी राशि का खर्च किया गया है । अतः मैं मानता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए राशि की कमी आडे. हाथों नहीं आने देना चाहिए । हमारी समझ से, ऐसे परिवारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिन्होंने अपने परिवार को दो या उससे कम बच्चों तक सीमित कर रखा है । ऐसे परिवारों को राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता दी जानी चाहिए । उन्हें तथा उनके बच्चों के लिए स्कूलों, अस्पतालों तथा अन्य सार्वजनिक

संस्थाओं में सीट रिजर्वेशन पर विचार किया जाना चाहिए तथा इसी प्रकार की अन्य योजनाओं की लिस्ट तैयार की जानी चाहिए । स्पष्टतया, इस प्रकार की योजनाओं पर होने वाले खर्च को केन्द्रीय सरकार को शत-प्रतिशत ग्रांट के रूप में वहन करना चाहिए ।

14. भारत की आत्मा देहातों में बसती है । अत: दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि तथा कृषि आधारित विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने की जो रणनीति केन्द्रीय सरकार द्वारा सुझाई जा रही है, उसका हम स्वागत करते हैं ।

15. अब मैं अपने नये राज्य की कुछ विशिष्ट समस्याओं के सम्बन्ध में आप सभी महानुभावों एवं खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरी सरकार का यह प्रयास है कि अगले चार वर्षों में झारखंड राज्य के सभी गाँवों को सड.क मार्ग से जोड.ने हेतु, आवश्यकतानुसार, सभी पुल-पुलियों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाये, जिसके लिए जिलावार एक वृहत् योजना तैयार कराई गई है । इस योजना पर कुल खर्च लगभग 700 करोड. रुपयों का आयेगा । इसके लिए हमें केन्द्रीय सहायता की अपेक्षा है ।

16. इसी प्रकार राज्य के सभी गांवों में अगले पाँच वर्षों में बिजली पहुंचाने की योजना है, जिसपर लगभग 850 करोड. रुपयों का खर्च आयेगा । इस हेतु भी हमें बडे. पैमाने पर केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता होगी ।

17. जल संसाधन प्रक्षेत्र में आने वाली सुवर्ण रेखा, अजय बराज, औरंगा सिंचाई योजना आदि जैसी वृहद् योजनाओं को अतिशीघ्र पूरा करने का हमने लक्ष्य रखा है, लेकिन झारखंड राज्य के कृषि एवं उद्यान का विकास तभी सम्भव होगा जब कि यहाँ के गांव-गांव में चेक-डेम, आहर, बडे. व्यास का कुआँ और जल-छाजन जैसी योजनायें सुचारु रूप से कार्यान्वित की जायेंगी और वर्षात् के पानी को समुद्र में बहने से रोका जा सकेगा । इसके लिए हर गांव में आम-सभा बुलाकर ग्रामीणों द्वारा ही लगभग 10,000 जल संचयन योजनाओं का चयन किया गया है, जिसे हमने ग्राम भागीरथी का नाम दिया है । इन योजनाओं के कार्यान्वयन से करीब दो लाख साठ हजार हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी । साथ ही, भूमिगत जलस्तर को ऊपर उठाया जा सकेगा ।इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर लगभग 625 करोड. रुपयों का खर्च आयेगा । हम अनुरोध करेंगे कि केन्द्रीय सरकार इस राशि को उपलब्ध कराने में हमारी मदद करे ।

18. झारखंड राज्य में रेल लाइनों की बेहद कमी है । हजारीबाग, दुमका जैसे शहर अभी भी रेल हेड पर नहीं हैं । इससे न केवल आम जनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है, अपितु खनिज पदार्थों के दोहन तथा उनके परिवहन में भी कठिनाई होती है । राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय से कोडरमा-हजारीबाग-राँची रेल लाइन, कोडरमा-गिरीडीह रेल लाइन, देवघर-दुमका-रामपुर हाट रेल लाईन तथा राँची-लोहरदग्गा-टोरी रेल लाइन पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध किया है । इन रेल लाइनों के निर्माण पर अनुमानित खर्च लगभग 1500 करोड. रुपयों का आयेगा । रेल मंत्रालय का कहना है कि अपने सीमित साधन स्रोतों से उन्हें इन रेल लाइनों को पूरा करने में कई दशक का समय लग जायेगा । अतः उन्होंने राज्य सरकार से 50 प्रतिशत की अधिसीमा तक संसाधन उपलब्ध कराने में राज्य सरकार के सहभागिता की उपेक्षा की है । कहना न होगा कि अपने सीमित स्रोतों से राज्य सरकार को यह राशि उपलब्ध कराने में भारी कठिनाई होगी । अतः हमारी अपेक्षा होगी कि केन्द्रीय सरकार इस कार्य में हमारी मदद करे ।

19. झारखंड राज्य के लिए एक नई राजधानी के निर्माण की आवश्यकता है । इस कार्य में, अन्ततोगत्वा, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों को मिलाकर कुल लगभग 14,000 करोड. रुपयों का खर्च आयेगा । नई राजधानी निर्माण हेतु हमारी सरकार द्वारा ग्लोबल टेंडर किया जा चुका है । मेरा अनुरोध होगा कि सरकारी भवनों और राजधानी की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार हमें विशेष सहायता उपलब्ध कराये ।

20. झारखंड राज्य में 16 आदिम जनजातियां हैं, जिनकी स्थिति दयनीय है । इनमें से 2-3 जनजातियों की जनसंख्या घट रही है । इन सभी 16 जातियों के बचाव तथा उनके उन्नयन के लए 60 हजार रुपया प्रति मकान की दर से मेरी सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी आवास निर्माण योजना बनाई गई है और उसका कार्यान्वयन कराया जा रहा है , जिसपर कुल खर्च लगभग 300 करोड. रुपयों का आयेगा । इस योजना के तहत लगभग 50,000 पक्के मकान अगले 5 वर्षों में बनाये जायेंगे और उन्हें आदिम जातियों को उपलब्ध कराया जायेगा । साथ ही, आदिम जातियों के स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए, उनके लिए एक विशेष इंश्योरें योजना तैयार कराई गयी हैं ।

21. झारखंड राज्य में सारे राष्ट्र का लगभग 30 प्रतिशत कोयले का उत्पादन होता है । कोयले पर स्वामित्व दर का पुनर्निधारण वर्ष 1994 के बाद नहीं हुआ है । वर्ष 1994 में स्वामित्व निर्धारण के समय यह कानूनी व्यवस्था की गयी थी कि हर 3 साल पर स्वामित्व दरों को पुनरीक्षित किया जायेगा, परंतु पिछले 7 वर्षों में यह कार्रवाई पूरी नहीं हो पायी है । इससे राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 300 करोड. रूपयों की राजस्व हानि हो रही है । सम्प्रति, कोयला पर स्वामित्व दरों का निर्धारण तौल के आधार पर किया जा रहा है । यह कोयला उत्पादक राज्यों के हित में नहीं है । प्राय सभी कोयला उत्पादक राज्यों द्वारा यह मांग की जा रही है कि स्वामित्व का निर्धारण मूल्य पर आधारित हो । इस संबंध में, केन्द्र सरकार द्वारा सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाएं केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1997 में ही प्राप्त हो गयी है , परन्तु अनुशंसाओं का कार्यान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है । अतः मेरा अनुरोध होगा कि समिति की अनुशंसाओं को लागू किया जाय ।

22. इसी तरह, कोयले पर आधारित कोल बेड-मिथेन गैस को भी व्यवसायिक उपयोग में लाने की आवश्यकता है । झारखंड सरकार पहले ही 10 प्रतिशत स्वामित्व की दर पर कोल बेड-मिथेन के व्यवसायीकरण पर अपनी सहमति दे चुकी है । अब इसे शीघ्रता से व्यवसायीकरण करने की आवश्यकता है ।

23. झारखंड वानिकी योजना अंतर्गत, 10 वर्षों की अवधि में, अवकृष्ट वनों के पुनर्वास एवं नये क्षेत्रों को वृक्षों से आच्छादित करने की योजना है,जिसके लिए लगभग 1100 करोड. रूपयों की एक महत्वाकांक्षी योजना केन्द्रीय सरकार को उपस्थापित की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख हेक्टेयर अवकृष्ट वनों का पुनर्वास करने तथा निजी व्यक्तियों द्वारा सामाजिक वानिकी योजना के तहत लगभग 40 हजार हेक्टेयर निजी भूमि पर पौधा लगाने की योजना है । इसके अतिरिक्त 1800 कि0मी0 लम्बाई में सड.कों, रेलवे लाइनों तथा नहर के तटों पर वृक्ष लगाये जाने की योजना है तथा संयुक्त वानिकी प्रबंधन समिति के माध्यम से जन सहभागिता सुनिश्चित करायी जायेगी । अनुरोध है कि इस योजना के बाह्य्य सम्पोषण हेतु केन्द्रीय सरकार हमारी मदद करने की कृपा करे ।

24. मैं, झारखंड राज्य के कई जिलों में वि मान उग्रवाद की गंभी समस्या की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा । इस समस्या से निपटने के लिए हमारी सरकार तत्पर है । आतंकवाद के रास्ते

पर दिग्भ्रमित नवयुवकों को राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लेने के लिए उनके आत्म-समर्पण एवं उनके पुनर्स्थापन की एक वृहद योजना प्रारम्भ की गयी है, परंतु उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड.क निर्माण, ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने तथा उनके लिये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को चलाये जाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है । इसके लिए एक बहुत बडी राशि की आवश्यकता होगी । अनुरोध होगा कि इसके लिये झारखंड. राज्य को विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की पहल की जाये । यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उग्रवाद की लडाई लड.ने के लिए हमें अतिरिक्त पुलिस बल संसाधनों की आवश्यकता है । हमें विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार इसमें हमारी पूरी सहायता करेगी ।

25. झारखंड राज्य में केन्द्र सरकार के कई उपक्रम अवस्थित हैं, लेकिन सभी उपक्रमों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, यथा, एच0ई0सी0, सी0सी0एल0, बी0सी0सी0एल0, सेल, मेकॉन, सिन्दरी फर्टिलाइजर आदि । केन्द्रीय उपक्रम झारखंड राज्य के आर्थिक व्यवस्था की आधारशिला है । अत जबतक ये उपक्रम सुचारू रूप से नहीं चलेंगे, तबतक झारखंड राज्य की जनता के लिये नियोजन प्राप्त करने का एक बहुत बडा स्रोत बुरी तरह प्रभावित होता रहेगा । इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि केन्द्र सरकार इन केन्द्रीय उपक्रमों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु एक बृहत योजना जल्द ही कार्यान्वित कराये ।

26. अंत में, मैं इस बैठक को आयोजित करने के लिए मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ तथा आशा करता हूं कि इस नव सृजित झारखंड राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ।